HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 2468/2024

In

S. B. Criminal Appeal No. 3459/2024

Ghanshyam S/o Shri Premchand Goyal, R/o Malakhera Darwaja Ke Bahar Near Chhajusingh Ki Gali Police Station Kotwali Alwar (Raj)
(Presently Accused Appellant Is In Central Jail, Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manish Gupta, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP Mr. Navdeep Singh, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

04/05/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा **430 बीएनएसएस** के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

2. प्रार्थी–अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), जिला–अलवर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **06/2023** में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.10.2024 के माध्यम से धारा 8/21 व 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम 10 वर्ष के **कठोर** कारावास की सजा से दंडित किया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, अभियुक्त से Codorex cough syrup 100 ml की 9 शीशियां तथा Welcyrex cough syrup 100 ml की 3 शीशियां कुल 12 शीशियां बरामद हुई हैं। उनका यह भी निवेदन है कि 10 शीशियों तक वाणिज्यिक मात्रा से कम होती हैं, दोषसिद्धी हेतु पत्रावली पर कोई सुदृढ साक्ष्य नहीं रही है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने की पूर्ण संभावना है, करीब 3 वर्ष 2 माह से कारावास की सजा भुगत रहा है, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरूद्ध Codorex cough syrup 100 ml की 9 शीशियां तथा Welcyrex cough syrup 100 ml की 3 शीशियां कुल 12 कफ की दवाई की शीशियां बरामद होने पर उसे अधिकतम 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है, जिसके मुकाबले अभियुक्त 3 वर्ष 2 माह की सजा भुगत चुका है, पूर्व में दो आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, जो कि चोरी व मारपीट के संबंध में है, दोषसिद्ध अपराध के समान प्रकृति का कोई पूर्ववर्ती प्रकरण संस्थित नहीं है।

7. अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त **घनश्याम पुत्र प्रेमचन्द गोयल** इस न्यायालय में **दिनांक 08.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 10.10.2024** के तहत दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /15